न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 07/2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2021/79

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. सुखाराम पुत्र घमण्डाराम, जाति देवासी, निवासी–हेमावास, तहसील व जिला–पाली (राज.)		1. कानाराम पुत्र घमण्डाराम जाति राईका, (देवासी), निवासी–सोसायटी भवन के पास, हेमावास, तहसील व जिला–पाली (राज.) 2. ग्राम पँचायत हेमावास जरिये सरपंच जिला–पाली (राज.)

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल जी सोनी
अप्रार्थी की ओर से नवीन शर्मा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 2.12.2021

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत कर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 62/2019 बअनवान सुखाराम बनाम कानाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायत राज अधिनियम के निर्णय दिनांक 3.2.2021 को पुनर्विलोकित कराने के आदेश प्रदान कराने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया उसकी ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए। निर्णित पत्रावली एवं पंचायत का रेकर्ड संलग्न किया जाकर बहस सुनी गई।

वक्त बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 62/2019 का निर्णय दिनांक 3.2.2021 को किया गया उक्त निगरानी प्रार्थी द्वारा पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करने के आदेश को चुनौति दी थी तथा ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किए बगैर उसके पुश्तैनी रहवासीय मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी करने में कानूनी भारी त्रुटि की है तथा निगरानी आदेश महत्वपूर्ण सबूतों एवं साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुए पारित किया गया है जैर निगरानी आदेश पारित करते समय आधारभूत दस्तावेज विवेचन से रह गये है जिसे निगरानी को पुनर्विलोकित किये जाने के आदेश फरमावे।

ग्राम पंचायत की आज्ञा सूची दिनांक 15.4.1986 में पुश्तैनी भूमी के विक्रय का लिखा हुआ है। पंचायत की आज्ञासूची 5.9.1986 में भी पंचायत द्वारा पुश्तैनी मकान का लिखा हुआ है ऐसी स्थिति में पुश्तैनी मकान सम्बन्धी दस्तावेज पेश नहीं होने की व्याख्या विधिविरूद्ध है। अप्रार्थी ने बिना तारीख के सशपथ पत्र (बयान) में अपनी पुश्तैनी भूमी बताते हुए मकान एवं बाड़ा होना बताया है जिस पर पिढ़ियों से हमारा निवास है तथा पुश्तैनी मकान होने का सबूत पत्रावली पर तो है ही तथा अप्रार्थी संख्या 2 की स्वीकृती भी है जो एक ठोस सबूत हैं। सचिव द्वारा मौका नक्शा बनाकर पेश किया गया है जिसका क्षेत्रफल 1229 वर्गगज है जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भूमी का नाप अलग है। कौनसा सही है इसका विवेचन भी नहीं किया गया है उक्त वाक्यात, हालात् एवं परिस्थितियों के देखते [illegible] जैर निगरानी बाबत पुनर्विलोकन फरमाया जावे। इसमें [illegible] शपथपत्र संलग्न है उसमें भी मकान का [illegible] अतः प्रार्थना पत्र [illegible] निगरानी संख्या 82/2019 सुखाराम बनाम क[illegible]राम निर्णय दिनांक [illegible]21 को पुनर्विलोकित किए जाने का स्वीकार फरमाया जावे एवं विधिसम्मत आदेश पारित फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:22 IST
Reason: SelfAttested

अपने तर्कों की ताईद में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत AIR 1977 SUPREME COURT 1724 पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान द्वारा दिए गए आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी बार–बार निगरानी में प्रस्तुत तथ्य ही दोहरा रहे है जिसका कोई भी औचित्य ही नहीं है। प्रार्थी प्रकरण को लम्बा करने की मंशा से ही ऐसा कर रहे है ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रार्थी द्वारा कोई नए तर्क पेश नहीं किए गए है। प्रार्थी द्वारा वही तर्क उक्त मकान पुश्तैनी जमीन पर बनाया गया है जिसके बार में पूर्व में प्रार्थी को आदेशित कर दिया गया था कि वह सिविल न्यायालय में जाकर अपने हक हिस्सा की मांग कर सकता है फिर भी उन्हीं तर्कों को दोहराते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकुलाय की बहस पर मनन किया गया तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। निगरानी खारिज करते समय कारण यह बताया गया है कि पुश्तैनी मकान था इसका कोई सबूत नहीं है लेकिन प्रार्थी के द्वारा पंचायत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पंचायत में दिए गए अपने बयानों में तथा अणदी प्रार्थी व अप्रार्थी की माता द्वारा दिए गए बयानों से स्पष्ट है कि भूमी पुश्तैनी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है जिसके अनुसार AIR 1977 SUPREME COURT 1724 के अनुसार '' It is well settled that a party's admission as defiend in Secs. 17 to 20, fulfilling the requirements of S. 21, Evidence Act. is substantive evidence proprio vigore. An admission, if clearly and unequivocally made, is the best evidence against the party making it and though not conclusive, shifts the onus on to the maker on the principle that "what a party himself admits to be true may reasonably be presumed to be so and until the premumption is rebutted the fact admitted must be taken to be established."

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं मूल निगरानी पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है। यह प्रार्थना पत्र बाद निर्णय मूल निगरानी के संलग्न किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय कलेक्टर पाली (राजस्थान)